

10/9/2016

अगिलेख उपस्वापित /

सबसे पहल उपस्वापित होकर
अपना उपस्वापित पत्र वापिस किये हो। द्वितीय पक्ष
अनुपस्वापित / उक्त वाद की समयवधि समाप्त हो चुकी
है। प्रथम पक्ष द्वारा बेंच पर प्रस्तुत किये गये हो।
द्वितीय पक्ष के द्वारा बेंच पर प्रस्तुत नहीं किये
गये। हो। उभय पक्षों द्वारा वाद की समयवधि तक किसी
प्रकार का शान्ति भंग न होने से बर्खास्त हो।
अतः वाद की कार्यवधि समाप्त होने से
प्रस्तुत बेंच पर के आलेख में वाद की कार्यवधि
समाप्त की जाती है।

10/9/16

अनुमण्डल कृषाधिकारी
बसिया (गुमला)